

मुख्यमंत्री साईकिल योजना की अर्हता संबंधी विवरणी

- ❖ राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/ संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र/छात्राओं के लिए 2500 की दर से साईकिल उपलब्ध कराई जाता है।
- ❖ इस योजना की राशि का वितरण शिविर लगाकर शिक्षा समिति, पंचायत समिति, अभिभावक, ग्रामीणों एवं छात्र/छात्राओं की उपस्थिति में किया जाता है ताकि नगद राशि के वितरण में पारदर्शिता बनी रही एवं अनुचित उपायों को बल नहीं मिले।
- ❖ इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत की जा सकती है।